न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र आम्बाराम		1. आम्बाराम पुत्र मानाराम
2. दुर्गाराम पुत्र आम्बाराम		जाति मेगवाल निवासी बारू
3. नरसिंगाराम पुत्र आम्बाराम		तहसील बाप जिला जोधपुर
4. गणेशराम पुत्र आम्बाराम		2. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक
5. दुर्जनराम पुत्र आम्बाराम		शाखा सिहड़ा तहसील बाप
निवासी ग्राम बारू तह.बाप		

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

जस्व वाद संख्या :– 148/2019

स्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री मदनगोपाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 29/11/2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादी की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा 1221 रकबा 160.06 बीघा, ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा नम्बर 344 44.17 बीघा स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा एंव प्रतिवादी के पिता मानाराम के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि जरिये के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की जायन्दा संतानें है इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक जाता है वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि में संयुक्त काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने वाद के साथ जमाबंदीया, नामांतरकरण पि, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात् प्रस्तुत किये। ग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अपने–अपने पैतृक हिस्से ब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासी ढाणीया, पानी के टांके

है। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। जिसका यह वाद पेश है। वादीगण ने वाद के अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता मदनगोपाल शर्मा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को माफिक इस्तदुआ डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वाद का प्रतिवादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादीगण वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। इसलिये पत्रावली बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1221 रकबा 160.06 बीघा, ग्राम दुर्जनी पटवार हल्का दंदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 344 रकबा 44.17 बीघा स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को उक्त के जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा संतानें है लिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य सही है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है अतः वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे तो उन्हे कोई उजर ऐतराज नहीं है। वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे।

उभयपक्षीय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस श्रवण किया गया बाद मनन एवं अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वादग्रस्त वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2019.12.09 20:53:05 IST
Reason: SelfAttested
Location:

ासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य जमाबंदी संवत 2070–73 ं नामांतरकरण संख्या 2717 मौजा बारू व जमाबंदी संवत 2071–74 में दर्ज ान्तरकरण संख्या 824 मौजा दुर्जनी से साबित हैं। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जाईन्दा है। इस बात को प्रतिवादी संख्या ने अपने इकबालिया जवाब में स्वीकार किया है द्ग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही वादीगण का हक हेत होता है। वादीगण ने अपने वाद को सही साबित करते किये जाने हेतु पर्याप्त सबूत किये है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण का पैतृक हिस्सा बनता है इसी अनुसार ीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद कार किये जाने योग्य होने से न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार या जाता है ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1221 रकबा 0.06 बीघा व ग्राम दर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा नम्बर 344 रकबा 44.17 बीघा श्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार षेत किये जाते है। ग्राम बारू के खसरा नंबर 1221 रकबा 160.06 बीघा भूमि पूर्व की ी रहन रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर देश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर, र से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप जिला जोधपुर (राज.)

(महावीर सिंह)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
बाप जिला जोधपुर (राज.)